FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

बलबीर सिहं पुत्र दीपचंद जाति मेघवाल नि0 ग्राम करवड तह0 कोटकासिम जिला अलवर

बनाम

रघुवीर सिहं पुत्र बेगराज जाति मेघवाल नि0 वार्ड नं. 2 बडबड तह. बुहाना जिला झुन्झूनू वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट   न0 84   सन 31.05.2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	31.05.2018 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात प्रार्थी के पक्ष में सुविधा संतुलन, अपूर्णीय क्षति आदि होना पृथम दृष्टया प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जबाब पेश करने तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 710/855, 714/856, 715/857 सालिम व ख.नं. हाल 711, 712, 713, 714/836 में 50/191 भाग कुल किता 07 वाके ग्राम माजरा काठ तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वास्ते तलबी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तामील नही होने की दशा में स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 26.07.2018 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30.1.25	आज यह पत्रावली पेश हुई ...[illegible]... की वकील उपस्थित है ...[illegible]... का समय ...ते है। पत्रावली वास्ते ...[illegible]... दिनांक ...3.2.25... को पेश है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
3.2.25	आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में मूल रकबा 0.9 R5 पट्टे तहत खातेदारी दी हुई है अतः प्रकरण 212 RTA में आइंदा कार्यवाही की जाने पर इसे करें। 0.9 R5 रकबा के तहत खातेदारी विद्यमान है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से [illegible] को आदेश जारी संलग्न दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)